कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया

आम सूचना

खगड़िया गौशाला कमिटि की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में गौशाला की भूमि की बन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए खुली डाक के माध्यम से की जानी है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र0	मौजा	भूमि की विवरणी, जिसकी बन्दोवस्ती होनी है	बन्दोवस्ती की राशि	सुरक्षित जमा राशि	अभ्युक्ति
1.	खैरी खुटहा (दहमा)	78–3–3	1,95,000/–	19,500/–	
2.	दहमा	25–7–11	1,75,000/–	17,500/–	
3.	नरैना	2–14–6	8,000/–	800/–	
4.	सन्हौली	3–14–18	15,000/–	1500/–	
5.	सन्हौली	9–3–13	45,000/–	4500/–	

बन्दोवस्ती खुली डाक से निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन की जायेगी।

1. गौशाला की वर्णित जमीन की बन्दोवस्ती खुली डाक के माध्यम से दिनांक 24.04.2015 को श्री खगड़िया गौशाला परिसर में की जायेगी।
2. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति बन्दोवस्ती की राशि का 10% सुरक्षित जमा के रूप में श्री खगड़िया गौशाला के कार्यालय में डाक के पूर्व जमा करेंगे।
3. उच्चतम डाककर्त्ता को डाक में बोली गई राशि को खगड़िया गौशाला में एकमुश्त जमा करना होगा। एकमुश्त राशि प्राप्त करने के बाद ही परवाना निर्गत किया जायेगा।
4. डाक स्थगित अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

16/04/15

अनुमंडल पदाधिकारी,
–सह–पदेन अध्यक्ष, श्री खगड़िया गौशाला,
खगड़िया।

16/4

ज्ञापांक 450/सी., दिनांक 16/04/15

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, खगड़िया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, खगड़िया/अलौली को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि डाक के समय उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपिः– जिला सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपिः– मंत्री, श्री खगड़िया गौशाला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/04/15

अनुमंडल पदाधिकारी,
–सह–पदेन अध्यक्ष, श्री खगड़िया गौशाला,
खगड़िया।

16/4